98

II/पुर्नविलोकन/सतना/2018/0/226

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0 ।

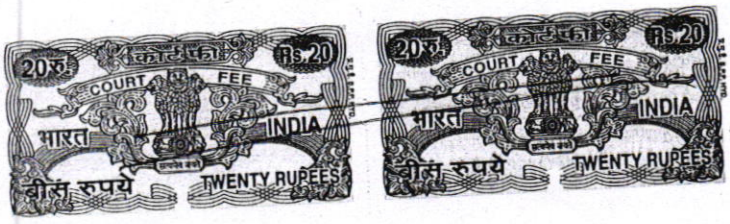

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 40/-

1- राजकुमार सिंह तनय स्व0 कौशल सिंह

2- रामधेरे सिंह तनय स्व0 कौशल सिंह

अधि0 श्री रूपेन्द्र सिंह द्वारा पेश/13.2.18

3- रामाधार सिंह तनय स्व0 कौशल सिंह

------- सभी निवासी ग्राम देवमऊ-दलदल तहसील रामपुर बाघेलान

जिला सतना म0प्र0 ---- आवेदक गण ।

बनाम

1- श्रीमती मुनिया पत्नी स्व0 रामाश्रय सिंह

2- देवेन्द्र सिंह तनय स्व0 रामाश्रय सिंह

3- शीवेन्द्र सिंह तनय स्व 0 रामाश्रय सिंह

4- योगेन्द्र सिंह तनय स्व0 रामाश्रय सिंह,

5- शैलेन्द्र प्रताप सिंह तनय स्व0 रामाश्रय सिंह

6- लता सिंह पुत्री रामबहोर सिंह (मृतक) वारिश पुत्र प्रदीप सिंह

7- जयराम सिंह तनय स्व0 इन्द्रजीत सिंह

8- रामकलेश सिंह तनय स्व0 इन्द्रजीत सिंह

9- रामबहोर सिंह तनय स्व0 विशेश्वर सिंह

----- सभी निवासी ग्राम देवमऊ दलदल तहसील रामपुर बाघेलान

जिला सतना म0प्र0 ---------- अना0गण ।

वीरेन्द्र कुमार मिश्र
एडवोकेट
जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा (म0 प्र0)

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र माननीय न्यायालय -

क्र0 ---

राजस्व मंण्डल ग्वालियर के निगरानी प्र0क्र0 -
479-2/14 पारित आदेश दिनाँक 11-01-2018.

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0
भू0रा0सं0 1959 ई0 ।

मान्यवर,

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र के आधार निम्न हैं :-

1- यहकि माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदक गणों के द्वारा अपर कमिश्नर रीवा के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गयी थी जिस - निगरानी का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दि0 11-01-2018 को पारित किया गया जिसकी जानकारी आवेदक को जरिए नेट दिनाँक 17-02-18 को हुई । उक्त आदेश की नकल रीवा से जरिए नेट प्राप्त की गयी, उक्त आदेश के अवलोकन करने पर यह पाया गया कि माननीय न्यायालय के द्वारा पारित - आदेश दि0 11-01-2018 में विधिक त्रुटि है और जबकिसी पारित आदेश में विधिक त्रुटि हो तो ऐसे आदेश के विधिक त्रुटि के सम्बन्ध मे भू0रा0संहिता में वर्णित प्रावधानों के तहत पारित आदेश को निरस्त किया जाकर उक्त विधिक त्रुटि को दूर किया जाकर आदेश पारित किया जा सकता है । विधिक त्रुटि निम्न है :-

§1§ यहकि माननीय न्यायालय के द्वारा जो दि0 11-01-2018 को आदेश पारित किया गया है उक्त आदेश में सबसे बड़ी त्रुटि विधिक यह है है कि जब प्र0क्र0 30/18/10/1979 के प्रकरण में नायब तहसीलदार रामपुर बाघेलान के

एडवोकट
जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा (म० प्र०)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–पुनरावलोकन / सतना / भू.रा. / 2018 / 226

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ आदि के हस्ता
17/7/18	यह पुनरावलोकन आवेदन राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 479–दो/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11–1–2018 पर से म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ पुनरावलोकन आवेदन की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर के आदेश दिनांक 11–1–18 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन में जो आधार बताये गये हैं उनका निराकरण पूर्व में ही आदेश दिनांक 11–1–18 से किया जा चुका है। म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन के लिये निम्न आधार बताये गये हैं – 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या, 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदकगण के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके कि आदेश दिनांक 11–1–18 पारित करते समय ऐसी कौनसी प्रत्यक्ष दर्शी भूल है अथवा उनके द्वारा ऐसा अभिलेख शोध कर लिया गया है, जो तत्समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका हो। जहॉ तक मान. तृतीय अपर जिला न्यायाधीश सतना के अपील प्रकरण कमांक 117/2017 में पारित आदेश आदेश दिनांक 26–2–18, 26–3–18 का प्रश्न है ? माननीय अपर जिला न्यायाधीश का आदेश पक्षकारों पर एंव राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है किन्तु विचाराधीन पुनरावलोकन आवेदन में दर्शाए गए आधार समाधानकारक न होने से आदेश दिनांक 11–1–18 में फेर–बदल की गुॅजायश न होने से पुनरावलोकन आवेदन इसी–स्तर पर अमान्य किया जाता है। सदस्य	